

570/25

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक - 24/10/25

ग्रामीण सेवा शिक्ति

कैम्प कोर्ट

2125/522

अनुपदिष्ट बनाम 1.1.1.1.1.1

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 24/10/25

पटवारी हल्का कैगा, भू अभिलेख निरीक्षक 11 दिनांकी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम कैगा के खाता संख्या 45, 44 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
कित. 01 कित. 06

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | असुर प्रविष्टि | शक्ति संपन्न प्रविष्टि वि. वि. वि. वि. |
|---------|---------------------|-------------|------------|----------------|--|
| 01. | <u>कैगा</u> | 45 | 1130 | प्रकिया | राजपूत |
| 02. | <u>कैगा</u> | 44 | 130, 143 | प्र | प्र |
| 03. | / | / | 145, 1456 | / | / |
| 04. | / | / | 812, 827 | / | / |

6
उपखण्ड अधिकारी
नादौती
कैम्प कोर्ट कैगा

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उपरानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
- 02. पटवारी, पटवार हल्का कैगा
- 03. प्रार्थी अनुपदिष्ट

6
उपखण्ड अधिकारी
नादौती

